न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री कुलदीप सिंह शेखावत(आर.ए.एस.)
आर0सी0एम0एसः–2023 / 54
मुकदमा नम्बरः– 1 / 2023
1.सांवरमल पुत्र श्री बेगला जाति बलाई निवासी गोठड़ा तहसील नवलगढ जिला झुझुनूं हाल आबाद गोगामेडी, सीकर तहसील व जिला सीकर

अपीलान्ट...

बनाम

1.शांति देवी पत्नि बेगला जाति बलाई निवासी गोठड़ा तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।
2.सुभाष पुत्र स्व0 बेगला जाति बलाई निवासी गोठड़ा तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।
3.प्रकाश पुत्र स्व0बेगला जाति बलाई निवासी गोठड़ा तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।
4.उम्मेद पुत्र स्व0 बेगला जाति बलाई निवासी गोठड़ा तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।
5.रामूराम पुत्र मन्नाराम जाति मेघवंशी निवासी ग्राम शाहपुरा जिला सीकर।
6.शंकर लाल पुत्र सांवरमल जाति मेघवंशी निवासी जयपुरिया स्कूल के पास नवलगढ जिला झुंझुनूं।
7.मातादीन पुत्र रामलाल जाति नायक निवासी नायकों का मोहल्ला नवलगढ जिला झुंझुनूं।
8.सरपंच ग्राम पंचायत गोठड़ा तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।
9.ग्राम सेवक ग्राम पंचायंत गोठड़ा तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।
10.पटवारी हल्का ग्राम गोठड़ा तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।
11.तहसीलदार महोदय नवलगढ जिला झुंझुनूं।
12. उप पंजियक नवलगढ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेन्टस ....

अधिवक्तागणः–
वकील अपीलांट– श्री नवलरत्न सोनी, श्री सुरेन्द्र बेरवाल

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2– श्री अशोक कुमार जांगीड़

अपील अन्तर्गत नामान्तकरण संख्या 1622 दिनांक 20.08.2015 के प्रस्ताव संख्या 1 को निरस्त शून्य, प्रभावहीन घोषित किये जाने बाबत्

निर्णय दिनांकः 14.11.2025

अपीलान्ट ने जरिये वकील अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1622 दिनांक 20.08.2015 मय धारा 5 अवधि अधिनियम इस आशय की प्रस्तुत की है कि राजस्व ग्राम गोठड़ा पटवार हल्का गोठड़ा तहसील नवलगढ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 323 रकबा 0.6300 हैक्टर अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि पैत्रिक / पुश्तैनी भूमि है। जिसकी खातेदारी अपीलांट के पिता बेगला के नाम से दर्ज रिकार्ड थी। अपीलांट के पिता बेगला का विवाह मनकोरी देवी के साथ हुआ था जिनसे अपीलांट का जन्म हुआ तथा बेगला की पुर्व पत्नी मनकोरी का देहान्त होने के बाद बेगला ने दुसरा विवाह शांति देवी से किया। शांति देवी एवं बेगला से सुभाष, प्रकाश, उम्मेद पैदा हुए जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 4 है। उक्त वर्णित भूमि अपीलांट का 1/2 हिस्सा परन्तु अपीलांट के पिता बेगला व रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 4 ने साज करके उक्त वर्णित भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 5, 6, 7 को को बेचान कर दिया तथा उक्त विक्रय पत्र के अनुसार ग्राम पंचायत

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

गोठड़ा ने दिनांक 20.08.2015 को नामान्तकरण संख्या 1622 दर्ज कर दिया। अपीलांट का उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा रहा है लेकिन रिकार्ड कायम नहीं होने के कारण उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही अमल में लाई गई। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.08.2015 को दर्ज किया गया नामान्तकरण संख्या 1622 अपीलांट के हक– हकुक पर शून्य प्रभावी है। अपीलांट अपने हिस्से की भूमि पर कृषि कार्य करता आ रहा है लेकिन दिनांक 05.01.2023 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के द्वार यह बताए जाने पर की उक्त भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 7 को कर दिया है तथा नामान्तकरण संख्या 1622 की नकल प्राप्त करने पर उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही का जानकारी अपीलांट को हुई तथा जानकारी के रोज से अपीला मियाद अन्दर पेश है।

अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण संख्या 1622 दिनांक 20.08.2015 ग्राम गोठड़ा को निरस्त किया जाकर अपीलांट के 1/2 हिस्सें की घोषणा किया जाना प्रार्थनीय है तथा जब तक अपील का निस्तारण नहीं हो तब तक उक्त भूमि के विक्रय, रहन, अन्तरण, एवं कच्चा पक्का निमार्ण करने से बाज रहे। अपील अपीलान्ट दर्ज की जाकर रेस्पोडेन्टस् की तलबी जारी की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3 लगायत 12 की तामील की अवधारणा की गई तथा व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की तरफ से वकील श्री अशोक कुमार जांगीड़ उप0।

बहस अपील श्रवण की गई। बहस के दौरान अपीलान्ट के वकील ने प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि राजस्व ग्राम गोठड़ा पटवार हल्का गोठड़ा तहसील नवलगढ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 323 रकबा 0.6300 हैक्टर अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि अपीलांट की पैत्रिक/पुश्तैनी भूमि है। जिसकी खातेदारी अपीलांट के पिता बेगला के नाम से दर्ज रिकार्ड थी। अपीलांट के पिता बेगला का विवाह मनकोरी देवी के साथ हुआ था जिनसे अपीलांट का जन्म हुआ तथा बेगला की पुर्व पत्नी मनकोरी का देहान्त होने के बाद बेगला ने दुसरा विवाह शांति देवी से किया। शांति देवी एवं बेगला से सुभाष, प्रकाश, उम्मेद पैदा हुए जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 4 है। उक्त वर्णित भूमि में अपीलांट का 1/2 हिस्सा है परन्तु अपीलांट के पिता बेगला व रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 4 ने साज करके उक्त वर्णित भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 5, 6, 7 को को बेचान कर दिया तथा उक्त विक्रय पत्र के अनुसार ग्राम पंचायत गोठड़ा ने दिनांक 20.08.2015 को नामान्तकरण संख्या 1622 दर्ज कर दिया। अपीलांट का उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा रहा है लेकिन रिकार्ड कायम नहीं होने के कारण उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही अमल में लाई गई। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.08.2015 को दर्ज किया गया नामान्तकरण संख्या 1622 अपीलांट के हक– हकुक पर शून्य प्रभावी अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण संख्या 1622 दिनांक 20.08.2015 ग्राम गोठड़ा को निरस्त किया जाकर अपीलांट के 1/2 हिस्सें की घोषणा किया जाना प्रार्थनीय है तथा जब तक अपील का निस्तारण नहीं हो तब तक उक्त भूमि के विक्रय, रहन, अन्तरण, एवं कच्चा पक्का निमार्ण करने से बाज रहे।

बहस के दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अधिवक्ता ने वकील अपीलांट द्वारा किये गये कथनों का खण्डन करते हुए कथन किया कि राजस्व ग्राम गोठड़ा पटवार हल्का गोठड़ा तहसील नवलगढ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 323 रकबा 0.6300 हैक्टर अवस्थित है जिसके गत भूमि खसरा नम्बर 300/897 रहे है। उक्त वर्णित भूमि बेगला की स्वअर्जित संपति है। राजस्व ग्राम गोठड़ा पटवार हल्का गोठड़ा के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2013– 2016, 2017–2020, 2021–2024, 2025–2028, 2029–2032, 2033–2036,

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

आधार वर्ष 20243, 2046–2049, 2050–2053 के अनुसार वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 323 जिसके गत खसरा नम्बर 300/897 रहे है की खातेदारी बेगला के नाम से दर्ज रिकार्ड है जिससे साबित होता है कि बेगला उक्त वर्णित भूमि को जागीरदारी समय से ही काश्त करता आ रहा था अर्थात यह भूमि बेगला की स्वअर्जित संपति है। जिसमें अपीलांट के कोई भी अधिकार निहित नहीं है। अपीलांट ने यह अपील भूमि को हड़प करने के उद्देश्य से तथा रेस्पोडेन्ट को हैरान व परेशान करने की मंशा से पेश की है। उक्त वर्णित भूमि से अपीलांट का कोई सार सरोकार नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारीज किया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकलाय की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में राजस्व ग्राम गोठड़ा पटवार हल्का गोठड़ा तहसील नवलगढ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 323 रकबा 0.6300 हैक्टर में ग्राम पंचायत द्वारा दर्ज किये गये नामान्तकरण संख्या 1622 दिनांक 20.08.2015 को निरस्त/शून्य करवाने के लिए तथा अपने नाम से उक्त भूमि के 1/2 हिस्सें की घोषणा करवाने का अनुतोष अपीलांट ने चाहा है। अपीलांट ने स्वंय को बेगला का पुत्र बताया है तथा उक्त अराजीयात को पैत्रिक भूमि बताया है लेकिन पत्रावली में कोई भी ऐसा साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि अपीलांट बेगला का पुत्र है तथा उक्त वर्णित भूमि पैत्रिक भूमि हो। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट ने अराजीयात के 1/2 हिस्सें की घोषणा करवाने का अनुतोष अपील के माध्यम से चाहा है। अगर अपीलांट के हक–हकुक उक्त वर्णित आराजी में निहित है तो अपीलांट को घोषणात्मक प्रकृति का वाद न्यायालय में पेश करना चाहिए था। उक्त विवेचन से जाहिर होता है कि अपील में वर्णित तथ्यों की पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात से पुष्टि नहीं होती हैं। अतः अपील अपीलांट खारीज किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

अपील अपीलान्ट साबीत नहीं होने से खारीज की जाती है।

(कुलदीप सिंह शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

निर्णय आज दिनांक 14.11.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुलदीप सिंह शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ